पंजाब राज्य एवं अन्य

बनाम

सुरिंदर सिंह एवं अन्य

25 अक्टूबर, 2007

[ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानूनः

दैनिक मज़दूरी कर्मचारी-समान काम के लिए समान वेतन का दावा निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत- निर्धारित : समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए समान रूप से स्थित दो व्यक्तियों के बीच पूर्ण और सम्पूर्ण समरूपता होनी चाहिए-एक नियमित नियुक्त व्यक्ति के मामले में, वह एक चयन प्रक्रिया से गुजरा है और उसकी सेवाएं नियमित हैं, भले ही एक दैनिक मजदूरी कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, अधिकारी उसे समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वह अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया है और उसे चयन प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा है-उच्च न्यायालय और निचली अदालत के आदेशों को दरकिनार किया जाता है।

एस. सी. चंद्रा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, [2007] 9 एससीआर 130 = जेटी (2007) 10 एससी 272, पर निर्भर थे।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 2001 की सं. 5607 5608।

2000 के आर. एस. ए. सं. 42-43 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 24.05.2000 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए निखिल जैन और अजय पाल।

उत्तरदाताओं के लिए नीरज कुमार जैन, भरत सिंह, संजय सिंह, संदीप चतुर्वेदी, सचिन जैन और उग्र शंकर प्रसाद।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना ।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित दूसरी अपील संख्या 42/2000 और 43/2000 में पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 24.5.2000 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।निचली अदालत ने निर्देश दिया था कि में जो प्रतिवादी दैनिक मजदूरी के आधार पर ट्रैक्टर चालक के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर नियमित रूप से नियुक्त किए गए लोगों के

समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।हालाँकि, उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में अन्य राहत को निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित पंजाब राज्य हमारे समक्ष अपील कर रहा है।

इस न्यायालय द्वारा 17.8.2001 पर विशेष अनुमति दी गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी।आज अपील अंतिम सुनवाई के लिए हमारे सामने हैं।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना और उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत के विवादित फैसले पर भी गौर किया है।

समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत में भारी बदलाव आया है। इससे पहले इस न्यायालय का विचार था कि यदि दो व्यक्ति समान कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो वे समान वेतन के हकदार होंगे।इसके बाद इस दृष्टिकोण को बदल दिया गया है और अब इस न्यायालय का विचार है कि दोनों व्यक्तियों के बीच पूर्ण और सम्पूर्ण समरूपता समान रूप से स्थित होनी चाहिए ताकि समान काम के लिए समान वेतन दिया जा सके। हाल ही में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दो व्यक्तियों के बीच समरूपता पूर्ण और सम्पूर्ण होनी चाहिए।एक नियमित नियुक्ति के

मामले में, वह एक चयन प्रक्रिया से गुजरा है और उसकी सेवाएं नियमित हैं।भले ही एक दैनिक मजदूरी कर्मचारी एक नियमित कर्मचारी के समान कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, अधिकारी ऐसे व्यक्ति को समान वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिसे दैनिक मज्द्दोरी के आधार पर नियुक्त किया जाता है, यानी, अल्पावधि के लिए नियुक्त किया जाता है और जिसने चयन प्रक्रिया का सामना नहीं किया है।इस प्रकार, समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल तभी दिया जाना चाहिए जब दोनों व्यक्तियों के बीच सम्पूर्ण और पूर्ण समरूपता हो। इस दृष्टिकोण से, हम एस. सी. चंद्र और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हैं।झारखंड राज्य और अन्य, [2007] 9 एस. सी. आर. 130-जे. टी. [2007] 10 एस. सी. 272, जिसने इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया है।

उपरोक्त निर्णय में हममें से एक (मार्कण्डेय काटजू, जे.) ने अपने एक सहमति वाले निर्णय में निर्धारित किया है कि वेतनमान देना एक कार्यकारी या विधायी कार्य है, न कि न्यायिक कार्य।संविधान के तहत राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका को अन्य अंगों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण का मोंटेस्क्यू के सिद्धांत भारत में भी व्यापक रूप से लागू होता है।

कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतनमान को प्रदान करने का दृष्टिकोण अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।नतीजतन, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत के आदेश को भी दरकिनार कर देते हैं और इसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमों को खारिज कर देते हैं।

अपीलों की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आर. पी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।